उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

संख्या- 81/2018/ 3737/92-1-2018-01(अधि0)/2018

लखनऊ: दिनांक 05 नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, मुख्य अभियन्तास्तर-2, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को उनके वर्तमान पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों के साथ-साथ शासन के अग्रिम आदेशों अथवा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के रिक्त पद पर नियमित तैनाती होने तक, जो भी पहले हो, निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का अतिरिक्त रूप से निर्वहन किये जाने हेतु एतदद्वारा अधिकृत किया जाता है।

2- उक्त अतिरिक्त कार्यभार अत्यन्त अस्थाई प्रबन्धन व्यवस्था के अन्तर्गत है एवं उक्त अतिरिक्त कार्यभार हेतु श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, मुख्य अभियन्ता स्तर-2 को कोई अतिरिक्त वेतन भत्ता आदि देय नहीं होगा।

मो0 इफ़तेखारूददीन,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-81/2018/3737(1)/92-1-2018तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- श्री रवीन्द्र सिंह गंगवार, मुख्य अभियन्ता स्तर-2, ग्रामीण अभियन्त्रण विभागको इस निर्देश के साथ कि कृपया निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के पद पर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायें।
3- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी।
5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2/ गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

अवध नारायण
उप सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-1

संख्या- 82/2018/ /92--1-2018-01(अधि0)/2018

लखनऊ: दिनांक नवम्बर, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

तात्कालिक प्रभाव से श्री सिराजुद्दीन अहमद, अधिशासी अभियन्ता, प्रखण्ड बदायूं, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग (वेतन बैण्ड-4, वेतनमान-रू0 37400-67000, ग्रेड वेतन-8700, पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स लेवल-13) के पद पर नियमित रूप से पदोन्नति प्रदान करते हुए परिमण्डल-बस्ती, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2- श्री अहमद को अनुमन्य वेतन/ मंहगाई भत्ता व अन्य भत्ते शासन द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों के अनुसार देय होंगे।

3- उक्त पदोन्नति, मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-31120/ 2016- राशिमणि मिश्रा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

4- अधीक्षण अभियन्ता के पद पर नियमित पदोन्नति के उपरान्त श्री अहमद अपने नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध करायेंगे।

नियुक्ति प्राधिकारी की ओर से,

वी0के0 सिंह,

संयुक्त सचिव।

संख्या-82/2018/ /92--1-2018तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- संबंधित मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी।

3- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

4- मुख्य अभियन्ता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

6- सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,

उ0प्र0, लखनऊ।

7- ग्रामीण अभियन्त्रण अनुभाग-2/ गार्ड फाईल/ कम्प्यूटर अंकन प्रति

आज्ञा से,

(अवध
नारायण)
उप सचिव।